

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 214/2016

1. शिंगारासिंह पुत्र दयालसिंह मृतक जरिये वारिसान

1/1 जसवीरकोर बेवा शिंगारासिंह

1/2 कुलदीपसिंह पुत्र शिंगारासिंह

1/3 कमलजीतकौर पुत्री शिंगारासिंह

1/4 शर्मवीरकौर पुत्री शिंगारासिंह

अकवाम जाति जटसिख निवासीगण चक

11 जी बी तहसील श्री विजयनगर

जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील श्री विजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 76 रा.भू.अधि. 1955

विरुद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 29.05.2013

उपस्थिति

अपील तहसील अभिभाषक अपीलार्थीगण।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 11.08.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार श्री विजयनगर ने राजस्थान उपनिवेशन अधि. की धारा 22 में अपीलार्थी शिंगारासिंह को 17 पत्रावलियों में चक 9 जी बी के प.न. 138/340 की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने तावान कायम करने एवं कुन्तशुदा फसल को निलाम कर राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध शिंगारासिंह ने अपील संख्या 356/2013 अति.कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की जो सुनवाई के बाद दिनांक 29.05.2013 को स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया गया। जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आदेश पारित नहीं किया है जबकि अधी.न्यायालय को

१/५१०

११/८/१७

राजस्व अवाल प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करना चाहिए था । अपीलाधीन आदेश की जानकारी वकील द्वारा नहीं दी गई एवं जानकारी पटवारी हल्का से होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावें ।


विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिंगारासिंह को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार ने बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये गये जिसके विरुद्ध अति.कलेक्टर सूरतगढ के न्यायालय में अपीलांट ने अपील पेश की जो रिमांड की गई। अपील रिमांड आदेश की पालना में तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस अपील के माध्यम से कोई पक्ष नहीं दी जा सकती । अतः अपील खारिज की जावें ।



उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.05.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति. कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 29.05.2013 को स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमांड किया गया है रिमांड आदेश में जो निर्देश दिये गये उनके सन्दर्भ में तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया जाना है । ऐसी स्थिति में अति.कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
11/8/17  
(प्रभाराम परमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर